

कार्यालय कलेक्टर, बैतूल

—:: आदेशः—


कमांक / 139 / 88 / स्था0 / 12778

बैतूल, दिनांक 3 / 10 / 2020

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ-3-4-2014-एक-4, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुकमांक-04 के नियम-05 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रावधानों के अनुसार, बैतूल जिले के लिए वर्ष 2020 में कार्यालयीन आदेश कमांक 139/88/स्था./272 दिनांक 08.01.2020 के द्वारा दो स्थानीय अवकाश, घोषित किए गए हैं।

2/ अतः उक्त आदेश के क्रम में दिनांक 16 नवम्बर, 2020 दिन सोमवार को "भाई दूज" को सम्पूर्ण जिले के लिए घोषित स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

3/ उपरोक्त अवकाश कोषालय/ उपकोषालय पर लागू नहीं होगा।



(राकेश सिंह)
कलेक्टर,
बैतूल

पू0कं0 / 139 / 88 / स्था0 / 12778

बैतूल, दिनांक 3 / 10 / 2020

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 3- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 4- प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, भोपाल।
- 5- आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद।
- 6- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर।
- 7- सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
- 8- समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
- 9- नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 10-समस्त कार्यालय प्रमुख, जिला बैतूल को सूचनार्थ।
- 11-जिला सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, बैतूल की ओर फेसबुक पर दर्ज करने हेतु अग्रेषित।
- 12-सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।


कलेक्टर,
बैतूल